उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय रामगढ़
परमिशन वाद संख्या 10/2014
रघु बेदिया वगै0 बनाम मेसर्स मुकन्द लि0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

21-02-2018

–: आदेश :–

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अन्तर्गत कम्पनी विस्तार हेतु आवेदक के द्वारा बिक्री/हस्तानान्तरण की अनुमति हेतु दायर परमिशन वाद के आलोक मे अंचल अधिकारी, गोला से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

अचल कार्यालय, गोला का पत्रांक 127 दिनांक 01.02.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि के खाता नं0 27 सर्वे खतियान में जोधा मांझी वल्द अघनु मांझी एवं खाता नं0 43 सर्वे खतियान में देवी मांझी वल्द खेदन मांझी के नाम से दर्ज है। भूमि हस्तान्तरण हेतु आवेदन में उल्लेखित खाता सं0 43 के प्लॉट सहित रकवा का पंजी II में आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम नही है। भूमि पूर्व में ही बिक्री की जा चुकी है। आवेदकगण के बीच में वंशावली के आधार पर मौखिक बटवारा किया गया है, लिखित रूप में वैधानिक दस्तावेज के द्वारा बटवारा नही किया गया है। वंशावली हिस्सा बटवारा के आधार पर उक्त खाता के अंतर्गत आवेदित भूमि के हिस्से में आवेदक जितन बेदिया एवं आवेदिका सोनामति देवी के हिस्से में 1.72 ए0 भूमि है, जो कि भूमिहीन के श्रेणी में आते है। आवेदित भूमि खाता सं0 43 में आवेदित रकवा 4.65 ए0 भूमि आवेदक के पास शेष नही है तथा खाता सं0 27 के आवेदित रकवा 4.22 ए0 भूमि में दो आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आते है। यह भी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अंतर्गत भूमि बिक्री/हस्तान्तरण नियम संगत प्रतीत नही होता है।

अंचल अधिकारी, गोला द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के साथ राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/आपतिकर्ता द्वारा प्राप्त आपति आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, गोला से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित मन्तव्य से असहमत होने को कोई ठोस आधार नही है। अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत भूमि बिक्री/हस्तान्तरण हेतु आवेदकगण से प्राप्त आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

21/2/18

उपायुक्त,
रामगढ़